क्या आपके पास एएसआर™ हिप सिस्टम है?

डेपाइ आपको दावों के मुआवजे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है.

डेपाइ ने स्वेच्छा से एएसआर™ XL एसेटेबुलर सिस्टम और डेपाइ एएसआर™ हिप रीसफेसिंग सिस्टम को वापस ले लिया है. इस वापसी से आपको हुयी चिंता पर हमें खेद है परंतु यह हम आपकी मदद के लिए ही कर रहे हैं. डेपाइ आपके डॉक्टरों के साथ मिल कर सुनिश्चित कर रहा है कि उचित देखभाल पाने के लिए आपको सही जानकारी मिल सके.

आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य डेपाइ के लिए महत्वपूर्ण हैं. डेपाइ की मंशा है कि आवश्यक होने पर, रिवीजन सर्जरी सहित, एएसआर की वापसी से जुड़ी सेवाओं की आपको जरूरत हुयी तो वह परीक्षण और उपचार के उचित और परंपरागत खर्चों का वहन करेगा.

एएसआर हिप की वापसी का अर्थ ये नहीं कि आपको हिप इम्प्लांट निकलवाना ही होगा. एएसआर हिप इम्प्लांट कराने वाले अधिकतर लोगों को समस्याएं नहीं होती हैं. फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका हिप ठीक से काम कर रहा है, आपको अपने सर्जन से सलाह लेते रहना चाहिए, भले ही आपको कोई लक्षण न हों.

कृपया जल्द से जल्द अपने सर्जन के साथ मुलाकात तय करें ताकि वह मूल्यांकन कर सकें कि आपका एएसआर हिप सिस्टम कैसे काम कर रहा है. कुछ मामलों में आपके सर्जन इस आकलन हेतु कि आपका हिप कैसे काम कर रहा है कुछ परीक्षणों या इमजिंग के लिए कह सकते हैं. आपके सर्जन आपके लिए सर्वोत्तम निगरानी योजना का निर्धारण करेंगे और आवश्यक होने पर उपचार समाधानों पर आपसे चर्चा करेंगे.

यदि हम आपकी मदद कर सकते हैं तो कृपया डेपाइ से संपर्क करने में संकोच न करें. यदि आपको कोई प्रश्न पूछने हों या दावा करना हो तो कृपया एएसआर कॉल सेंटर में **०००८०० ६५०१ ७१३** पर फोन करें. अतिरिक्त जानकारी **www.DePuy.com** पर उपलब्ध है.

एएसआर™ हिप सिस्टम वाले मरीजों हेतु पहले कदम

1. प्रश्न पूछने या दावा करने के लिए एएसआर हेल्पलाइन ०००८०० ६५०१ ७१३ पर फोन करें.
2. डेपाइ अतिरिक्त जानकारी हेतु निवेदन करेगा ताकि हम निर्धारित कर सकें कि क्या आपके एएसआर संबंधित खर्च मुआवजा पाने के योग्य हैं.
3. मूल्यांकन हेतु अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मुलाकात तय करें
4. आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके लिए सर्वोत्तम निगरानी और उपचार योजना निर्धारित करेंगे.

ENGLISH TO HINDI

क्या आपके पास एएसआर™ हिप सिस्टम है? डेपाइ आपको दावों के मुआवजे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है.

एएसआर हेल्पलाइन से संपर्क करें.

आपसे अपने एएसआर इम्प्लांट के बारे में जानकारी देने को कहा जाएगा और आपको एक प्रारंभिक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा.

यदि आपने पहले से मरीज सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो आपको वह प्रपत्र भेजा जाएगा जिस पर हस्ताक्षर करके आप एएसआर हेल्पलाइन को भेजेंगे. इससे डेपाइ और एएसआर हेल्पलाइन को प्राधिकृति मिलेगी कि वह आपके हिप इम्प्लांट के बारे में चिकित्सीय रिकॉर्ड देख सकें.

हमारी सिफारिश है कि आप अपने इम्प्लांट के मूल्यांकन हेतु अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मुलाकात तय करें. आपके सर्जन एक चेकलिस्ट भरेंगे जो पुष्टि करेगा कि आपको एएसआर है, परीक्षण या उपचार की जरूरत है और कुछ अपवाद लागू नहीं होंगे. ये चेकलिस्ट एएसआर हेल्पलाइन को भेजी जाएगी.

इस बात की पुष्टि होने पर कि आपमें एएसआर इम्प्लांट है और आप मुआवजा पाने के योग्य हैं, आपको एक मरीज दावा नंबर दिया जाएगा और प्रदाताओं को यह दिखाने के लिए कि योग्य खर्चों का वहन डेपाइ करेंगे, आपको भुगतान प्राधिकृति पत्र भेजा जाएगा. कृपया यह पत्र अपने को दिखाएं.

योग्यता की समीक्षा के लिए किसी भी खुद किए खर्च और दस्तावेज एएसआर हेल्पलाइन में जमा करें.

दावा प्रोसेसर, योग्य खर्चों का मुआवजा जारी करेगा.

परिभाषा

दावा: आपके खर्च और प्रलेखन का पता करने के लिए डेपाइ के दावा प्रोसेस द्वारा प्रारंभ मरीज रिकॉर्ड

दावा प्रोसेसर: एएसआर हेल्पलाइन के प्रबंधन और एएसआर की वापसी से जुड़े दावे प्रोसेस करने के लिए डेपाइ ने क्रॉफोर्ड्स ऐंड कंपनी को नियुक्त किया है.

भुगतान प्राधिकरण पत्र: प्रदाताओं को दिखा कर इस बात की पुष्टि का पत्र कि परीक्षण और उपचार का खर्च डेपाइ वहन करेंगे और उसका बिल सीधे डेपाइ, द्वारा दावा प्रोसेसर को किया जा सकता है.

मरीज सहमति प्रपत्र: आपकी स्वास्थ्य और चिकित्सीय जानकारी निजी है. चिकित्सीय सहमति प्रपत्र से, दावे प्रोसेस करने हेतु सर्जन/अस्पताल को आपकी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य स्वास्थ्य जानकारी डेपाइ और डेपाइ के तृतीय पक्ष दावा प्रोसेसर से साझा करने में मदद मिलती है.